

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
12/56/2022

रजि० नम्बर
2022/227

प्रवेश तिथि
13.05.2022

निर्णय दिनांक
18.11.2022

1. राजेन्द्र पुत्र मोहन सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम घीलोड तहसील नीमराना जिला अलवर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार नीमराना जिला अलवर

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार नीमराना दिनांक 12.04.2022
अन्तर्गत धारा 91 भू० राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या
09/2022

उपस्थित:-

01—श्री पवन सिंह चौहान

—वकील अपीलान्ट

—:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 12.04.2022 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम घीलोड के आराजी खसरा नम्बर 1619/2324 कुल रकबा 0.09 है० में से 0.01 है० किंस्म गै०मु०रास्ता पर रुडी डालकर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम घीलोड के आराजी खसरा नम्बर 1619/2324 कुल रकबा 0.09 है० में से 0.01 है० किंस्म गै०मु०रास्ता पर रुडी डालकर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 22.02.2022 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 18.05.2022 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)